

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौची(धनबाद)


अभिलेख सं० 260(II) / 2016-17
वादा का प्रकार - बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

18/10/16

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापाक 2074/रा० दिनांक 12.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह - विशेष सचिव, राजरव एव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजरव विभागनीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के दम में हल्का राजरव कर्मचारी एव प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -
मौजा लाखुपुर थाना न० 58 खता न० 150
प्लॉट न० 74 रकबा 0.24 एकड़ की
भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० शान्ति देवी जमा के पृष्ठ संख्या 464 पर जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।
हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाम एवं राज्य को क्षति कारित करना है।
प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।
अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दरस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाए।
अभिलेख दिनांक 21/11/16 को उपस्थापित करे।


अंचल अधिकारी,
तोपचौची

11. 2020


अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा मालुदीह मौजा नं० 58 खाता नं० 150 प्लॉट नं० 74 रकबा 0.24 वर्ग


से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी 11 के जमाबंदी भोलुम नं० I के पृष्ठ सं० 464 में रैयत श्रीमती देवी शर्मा सा० - मालुदीह तोपचौची के नाम से

कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रौधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


23/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचौची।


23/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

260(11)16-17L

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- शांति देवी शर्मा 818 अमोल बन्दोबस्त
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-
 मौजा धाना सं० खाता सं० प्लॉट सं० रकबा
 010384 58 156 74 0.24V
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-464 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 86-87
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम - कारकास 212 हाट
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - 2454
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नाभान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम - 34
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - दा. 2वा. 321 ग 85(1) 86-87 3 अउसाट
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	815978	24-16-86	86-87
	013084	25-8-87	87-88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8/10

अचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची (धनबाद)
राज. अधिनियम सं. 260(II) / 2010-17 (अन्वयन धारा - 4(h), BIR Act, 1950)

बनाम

रूयना

17/11

पिता - शंति देवी शर्मा
ग्राम - पत्रि श्याम सुन्दर शर्मा
थाना - लाहुरी पो०
जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा लाहुरी
थाना न० 58 खाता न० 150 प्लॉट न० 34
रकबा 0.24 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का न० II के पत्ती II
भाग 464 के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र०अचल
निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 5/11/16 को समय 11:00 बजे
पूर्वा० में उक्त भूमि का रिटर्न -I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य टोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते
हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी
जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि - 18/10/2016

स्थान - तोपचौंची



[Signature]
अचल अधिकारी

18/10/16 तोपचौंची